

राजस्थान सरकार


कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, विजौलियों
क्रमांक:- खअ/विजौ/निविदा/प-/2020/715

दिनांक:- 16/12/2020

नीलामी सूचना 4/2020

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला भीलवाडा के इस कार्यालय क्षेत्राधिकार में अवैध खनन/निर्गमन क्रैकिंग के दौरान राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 54, 60 व 61 के तहत जब्तशुदा अनुमानित मात्रा 1472 टन आरक्षित दर 425/- रु0 प्रतिटन (दर जिला टास्क फोर्स भीलवाडा) पर जैसी है उसी स्थिति में नीलामी हेतु दर सीलबंद लिफाफे में आमंत्रित की जाती है, जिसका विवरण विभागीय वेबसाईट www.mines.rajasthan.gov.in एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है। उक्त नीलामी में भाग लेने हेतु नीलामी प्रपत्र 1000/- रु0 का डी0डी0/बैंकर्स चैक खनि अभियन्ता, विजौलियों (Mining Engineer Bijoliya) के नाम से जमा कराकर किसी भी कार्यदिवस में दिनांक 28.12.2020 तक रोकड शाखा कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, विजौलियों से प्राप्त किये जा सकते हैं।

कार्यालय परिसर में पडी जब्तशुदा वजरी कुल मात्रा करीबन 1472 टन की एक साथ बोली दरें मय वयाना/अमानत राशि 15,000/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो खनि अभियन्ता, विजौलियों के नाम हो, सीलबंद लिफाफे में दिनांक 29.12.2020 सांय 5 बजे तक प्राप्त की जायेंगी। निर्धारित समय तक प्राप्त सीलबंद लिफाफे कमेटी द्वारा दिनांक 30.12.2020 को प्रातः 10 बजे उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोलें जायेंगे, नीलामी की शर्तें एवं विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट www.mines.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध रहेगी व किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है।


(पुष्पेन्द्र सिंह)
खनि अभियन्ता
विजौलियों

नीलामी हेतु उपलब्ध बजरी का विवरण

भीलवाडा जिले में इस कार्यालय के क्षेत्राधीन कार्यालय परिसर में अवैध खनन/निर्गमन चैकिंग के दौरान जब्त शुदा खनिज बजरी (जैसी है उसी स्थिति में) पडी हुई है, जिसे 30.12.2020 को नीलाम किया जाना है।

क्र.स.	स्थान का नाम जहाँ जब्त बजरी पडी हुई है।	बजरी की अनुमानित मात्रा
1	कार्यालय परिसर, खनि अभियन्ता बिजौलियाँ	1472 टन
कुल		1472 टन

निविदा कार्यवाही हेतु शर्तें निम्नानुसार होगी:-


1. निविदा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी, लिफाफे पर स्पष्ट रूप से "कार्यालय खनि अभियन्ता बिजौलियाँ के क्षेत्राधिकार में एकत्रित बजरी नीलामी हेतु आवेदन" लिखा होना चाहिए। सभी निविदाएँ कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, बिजौलियाँ के कमरा न0 1 पर टेण्डर बॉक्स में दिनांक 29.12.2020 तक डाली जा सकेगी।
2. प्रत्येक थाना क्षेत्र/चौकी के अनुसार बयाना/अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो खनि अभियन्ता बिजौलियाँ के नाम हो, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कराना होगा।
3. निविदा प्रपत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि निविदादाता या फर्म, फर्म के भागीदारों/कम्पनी, कम्पनी के निदेशको या उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध विभाग की कोई राशि बकाया नहीं है।
4. जब्तशुदा बजरी की गुणवत्ता एवं मात्रा की जानकारी/निरीक्षण किसी भी कार्यदिवस में संबंधित परिसर में की जा सकती है।
5. सफल निविदादाता को जब्तशुदा बजरी क्षेत्र/परिसर में जैसी भी, जितनी भी, जहाँ भी है, उसी स्थिति में स्वयं के खर्चे पर उठानी होगी।
6. प्राप्त निविदाएँ कमेटी द्वारा दिनांक 30.12.2020 को प्रातः 10:00 बजे उपस्थित निविदादाता के समक्ष खनि अभियन्ता कक्ष संख्या 1 में खोली जावेगी, एवं सफलतम निविदादाता की घोषणा संलग्न दस्तावेज पूर्ण व सही पाये जाने पर की जावेगी एवं सफलतम निविदादाता को आदेश पत्र दिया जावेगा। सफल निविदादाता को आदेश प्राप्ति के 3 दिवस में संपूर्ण राशि जमा करानी होगी। सफल निविदादाता को परिवहन हेतु अवधि अधिकतम

20 दिवस की अनुमति होगी। अन्यथा जमा राशि जप्त करते हुए बजरी पुनः राजकीय पक्ष में ले ली जायेगी।

7. सफल निविदादाता को सम्बन्धित क्षेत्र/परिसर की खनिज बजरी के स्टॉक को उठाने की कार्यवाही (लोडिंग, अनलोडिंग लेबर व परिवहन) इत्यादि स्वयं के स्तर पर एवं स्वयं के व्यय पर ही करनी होगी। इसमें विभाग का कोई दायित्व नहीं होगा।
8. निविदादाता को एड्रेस प्रुफ, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं जीएसटी पंजीकरण इत्यादि की प्रति, फर्म के मामले फर्म का पंजीकरण प्रमाण पत्र, भागीदारीनामा एवं मख्यारनामा यदि जारी किया हुआ हो तथा कम्पनी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ ऑर्टिकल्स, निदेशको की सूची इत्यादि को स्वयं प्रमाणित प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी।
9. सफल निविदादाता को बोली राशि के अलावा नियमानुसार देय GST/TCS/DMFT/RSMET की राशि अतिरिक्त जमा करा कर विभाग को अधिकतम 3 कार्यदिवस में चालान प्रस्तुत कराना होगा।
10. नीलामी में प्राप्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने अन्तिम निर्णय निविदा कमेटी का होगा तथा निविदा के संबंध में यदि कोई उज्र/आपत्ति हाने पर निर्णय करने से संबंधित समस्त सर्वाधिकार नीलामी खनि अभियन्ता भीलवाडा के पास सुरक्षित होंगे।
11. सफल निविदादाता को परिवहन विभाग द्वारा प्रत्येक वाहन की अनुमत क्षमता के अनुसार ही बजरी परिवहन की अनुमति प्रदान की जायेगी।
12. बजरी को एक समय में कम से कम 10 वाहनों में विभागीय कार्मिक की उपस्थिति में भरकर व तुलाकर ही परिवहन किया जा सकेगा।
13. तुलाई के बाद वाहनों के निर्गमन से पूर्व उनका इन्द्राज विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक हेतु संधारित की जाने वाली स्टॉक पंजिका में किया जायेगा। स्टॉक के बैलेंस गणना कर रजिस्टर की फोटो संबंधित खनि अभियन्ता, अधीक्षण खनि अभियन्ता एवं अधीक्षण खनि अभियन्ता (सतर्कता) को व्हॉटसएप मैसेज भेजने के पश्चात ही खनिज निर्गमन की अनुमति होगी।
14. विभागीय कार्मिकों द्वारा नीलाम की गई बजरी के परिवहन में प्रयुक्त विभागीय रवन्ना, वाहनों की फोटो एवं कम्प्युटरीकृत/अधिकृत तुलायंत्र की वजन पर्ची क्षेत्र के संबंधित नम्बर अंकित अधिकारियों को व्हॉटसएप पर भेजने के पश्चात ही वाहनों को रवन्ना किया जा सकेगा।
15. नीलाम की गई बजरी को पुनः भण्डारण/परिवहन अनुमत नहीं होगा। सफल निविदादाता बजरी को सीधे ही उपयोगित स्थान पर परिवहन करेगा।
16. नीलाम की बजरी को नियत समय नहीं हटाने पर विभाग पुनः नीलाम कर सकेगा और इस संबंध में सफल बोलीदाता की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

17. सफल बोलीदाता द्वारा खनिज के निर्गमन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों के पंजीयन की प्रति एवं वाहन चालक के ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति संबंधित कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। खनिज का परिवहन उक्त वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनों से अनुमत नहीं होगा।
18. खनिज के परिवहन हेतु विभागीय कार्मिक द्वारा प्रत्येक वाहन का मैन्यूल रवन्ना जारी किया जायेगा।
19. खनिज परिवहन में जी०पी०ए० युक्त वाहनों को प्राथमिकता दी जायेगी।
20. सफल निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण निविदा राशि जमा कराये जाने के उपरान्त कार्यालय खनि अभियन्ता, बिजौलियाँ द्वारा वाहन के वनज क्षमता अनुसार रवन्ना जारी की जायेगी तथा खनिज के परिवहन की स्वीकृति प्रदान की जावेगी। कोई भी वाहन बिना रवन्ना के निर्गमित नहीं किया जा सकेगा।
21. शेष सभी शर्तें सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियमों के अनुसार होगी।
22. सभी विवादों को न्याय क्षेत्र भीलवाडा होगा।
23. उक्त नीलामी को स्थगित करने, नीलामी को फाईनल करने अथवा निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।

नोट:—निविदा प्रस्तुत करने की तिथि तक यदि राज्य सरकार/विभाग द्वारा निविदा शर्तों में कोई परिवर्तन किया जाता है तो वह मान्य होगा।



(पुष्पेन्द्रसिंह)

खनि अभियन्ता
बिजौलियाँ
दिनांक:—

क्रमांक:— समसंख्यक/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. निदेशक महोदय, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, निदेशालय उदयपुर।
2. प्रभारी अधिकारी, डीएजी ओएमएस, निदेशालय खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर की विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
3. जिला कलक्टर भीलवाडा।
4. अतिरिक्त निदेशक (खान) उदयपुर जोन, उदयपुर।
5. अधीक्षण खनि अभियन्ता भीलवाडा वृत्त, भीलवाडा।
6. थानाधिकारी पुलिस थाना.....
7. सूचना सहायक, कार्यालय हाजा को एसपीपी पोर्टल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


(पुष्पेन्द्रसिंह)
खनि अभियन्ता
बिजौलियाँ

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, विजौलियाँ
क्रमांक:- खअ/बिजौ/निविदा/प-/2020/725

दिनांक:- 16/12/2020


खनिज बजरी की नीलामी विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला भीलवाडा के इस कार्यालय क्षेत्राधिकार में अवैध खनन/निर्गमन चैकिंग के दौरान राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 54, 60 व 61 के तहत जब्तशुदा अनुमानित मात्रा 1472 टन आरक्षित दर 425/- रू0 प्रतिटन (दर जिला टास्क फोर्स भीलवाडा) पर जैसी है उसी स्थिति में नीलामी हेतु दरे सीलबंद लिफाफे में आमंत्रित की जाती है, नीलामी का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	नीलामी सूचना संख्या	बजरी की अनुमानित मात्रा (टन में)	अमानत राशि	आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि	आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि	नीलामी दिनांक व समय	यूबीएन न0
1	4/2020	1472	15000	28.12.2020	29.12.2020	30.12.2020 प्रात 10 बजे	

नीलामी की शर्तें एवं विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट

www.mines.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध रहेगी व किसी कार्यदिवस में कार्यालय समय में नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है।


खनि अभियन्ता
बिजौलियाँ